07/3/21

आज पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्ष सुनी।
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत रहा कि विवादित आराजियात
खाते पाकिस्तान विभाजन के समय खाते आये प्रार्थी
कि प्रार्थी के पिता ठाकुरसिंह पुत्र किरपालसिंह को अन्य
आराजीयात के साथ अलोट हुई व वक्त अलोटमेन्ट पिता के
नाम तन्हा गैरखातेदारी का इन्द्राज रिकॉर्ड में चला आ रहा
है। सन 1985 में अप्रार्थी सं० / नं० 5 के पिता नारसिंह
ने स्वयं की आ० ख० नं० 497 पटवारी की निजी आधार पर खातेदारी
ले ली व तत्कालीन ह[illegible] बाब होकर ई० नं० 177
दिनांक 04/6/85 के [illegible] 497 जिन प्रार्थी की विवादित
आराजी ख० नं० [illegible] रकबा 5 बीघा व 407 जिन
रकबा 13 बिस्वा को तत्काल दर्ज की नीलाम एजेन्सी
[illegible] दिनांक 13/6/1985 को पेश किया व० नं०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:18:13 IST
Reason: SelfAttested

२५६

सहायक कलक्टर
मण्डावर (अलवर) राज०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलका हुक्म की जा
	388 मिन एवं ख० नं० 407 मिन बैंक रहन होने का हवाला देकर बदस्तूर रखा जावे / विवादित ख० नं० का रिकार्ड बदस्तूर रहे का आदेश होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में सं० 2038 की जमाबन्दी में विवादित ख० नं० में अप्रार्थी के पिता नाहर सिंह को खातेदार के इन्तकाल का जो दर्ज किया जो कानून मौका व राजस्व रिकार्ड के खिलाफ गलत रूप से अंकित किया जिसके आधार पर आगामी जमाबन्दीयों में विवादित आ० ख० नं० 388 व 407 के खातेदारी के मिन ख० नं० 682/388 व 366/407 बनाकर नाहर सिंह के नाम का अमल दरामद हो गया जो काबिल दुरुस्त है/ उक्त विवादित आराजी में मिन प्रार्थी का 1/9 हिस्सा रिकार्ड के अनुसार ठाकुर सिंह की विरासत से प्राप्त हुआ है। जो आज तक गैर खातेदारी का होने के कारण कृषि ऋण एवं अन्य सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आदि आदि का निवेदन करते हुए विवादित आ० ख० नं० 681/388 रकबा 0.20, 682/388 रकबा 0.06 685/407 रकबा 0.01, 686/407 रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम नाहर नगर, तहसील मुण्डावर जिला अलवर में कोई कब्जा, पक्का निर्माण नहीं करे, प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा नहीं करे / रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे आदि का निवेदन रहा। रीडरी अनुसार अप्रार्थी सं० 1 व 4 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर आकर [illegible] के कथनों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी का यह कहना गलत है कि [illegible] प्रार्थी के पिता ठाकुर सिंह को अलॉट हुई थी [illegible] वास्तविकता यह है कि आराजी ख० नं० 682/388/0.06 हैक्टेयर वाके नाहर नगर अप्रार्थी सं० 1 ओमप्रकाश के पिता की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो पिता नाहर सिंह के नाम दर्ज है। उनकी फौतगी पर विरासत का इन्तकाल मिन अप्रार्थी के नाम दर्ज व मंजूर हो चुका है। उक्त आराजी से	

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Ve
Digitally signed by Ra
Rajawat
Date: 2021.07.29 13:
Reason: SelfAttested

ख	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर एवं तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी एवं तरमीमी अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा तो काबिले कास्त का सवाल ही पैदा नहीं होता है अप्रार्थी सं० 4 कमला देवी ने आराजी ख० नं० 682/388/0.06 हैक्टर में अपने हिस्से आधे 1/2 भाग का दानपत्र गुरुद्वारा कमेटी इकरारनामा दिनांक 11/2/21 को कर दिया है। प्रार्थी ने झूठे व आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र दायर किया है खारिज-खारिज का निवेदन करते हुए प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण को दु० दि० दवामी से पाबन्द बनाने के बाबत के किसी भी अनुरोध से पाबन्द करने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे का निवेदन रहा।

वकील उभय पक्षकारान की बहस के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का अभिकथन किया एवं वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते एवं अस्वीकार करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थी एवं त० प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं होना एवं अप्रार्थी सं० 4 कमला देवी द्वारा अपनी आराजी ख० नं० 682/388 में से अपने हिस्से आधे 1/2 भाग का दानपत्र गुरुद्वारा को किया जाना जो सही किया जाने का निवेदन करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने का अभिकथन किया।

वकील उभय पक्षकारान की ध्यान पूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरान्त प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बाबत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण ~~को~~ [illegible] न्यायालय कर खिलाफ प्रार्थी पाते हुए बहक अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य पाता है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण [illegible] बहक अप्रार्थीगण पाये जाने की स्थिति में सुविधा का सन्तुलन वाले बिन्दु को भी यह न्यायालय कर खिलाफ प्रार्थी पाते हुए बहक अप्रार्थीगण पाता है और जब उक्त प्रथम दृष्टया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन वाले

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verif
Digitally signed by Ram
Rajawat
Date: 2021.07.29 13:18
Reason: SelfAttested

वण्ड .... मुण्डावर

.... किस्म .... मुकदमा नं० .... दिनांक...

ी.......

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर एवं तारीख
हुक्म की तारीख

दोनों बिन्दु ही खिलाफ प्रार्थी पाते हुए बहक अप्रार्थीगण साबित पाये जाने की स्थिति में नापूर्ति होने वाले बिन्दु को भी यह न्यायालय बहक अप्रार्थीगण पाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को यह न्यायालय उपरोक्त विवेचित आधारीय तत्वों प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाले उक्त तीनों बिन्दुओं को खिलाफ प्रार्थी एवं बहक अप्रार्थीगण पाये जाने की स्थिति के अस्वीकार योग्य पाया जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है एवम् पूर्व दिनांक 5/3/21 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्थगन आदेश निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली निर्णीत घोषित होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील [illegible] मूल ड्राफ्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:18:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०